

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

न अधिकारी :- बन्शीधर योगी, (आर0ए0एस0)

ना संख्या :- 34/2024 डा0 फु

मोतालाख जी मोतालाख 56 टमीर खल्ला सिं फलेदी - डडफोरा-कोठ

प्रार्थी.....

बनाम

सिं फलेदी 56 टमीर खल्ला सिं फलेदी - डडफोरा-कोठ

विपक्षीगण.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक

14/12/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम दुबेदी पटवार हल्का डुवांजा (30) तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या 232 आराजी नम्बर 1248/18

कुलकिता 1 रकबा 0.5438 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त पक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30/11/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को र्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने ारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम दुबेदी पटवार हल्का डुवांजा (30) तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 232 आराजी नम्बर 1248/18

कुलकिता 1 रकबा 0.5438 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की कारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक डुवांजा को 500/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर करेडा

- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
करेडा, जिला भीलवाडा  
सहायक कलक्टर करेडा